

03.10.22

CE(P)

03.10.2022

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

30/6

MD

06/10/22

SPA-1700
03/11

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-385/XXXV-1/2022

प्रेषक,

शैलेश बंगौली,
सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड शासन।

1947/SSO(P)II

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (नियोजित)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

- 01- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 02- मंडलायुक्त (कुमाऊँ/गढ़वाल), उत्तराखण्ड।
- 03- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 04- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

Copy to
(i) SSO (II) (iii) E&UT
(ii) Ex. Chabi Saini AE
(iv) S.A.O. I
(v) J.T. Cell online host
(vi) All C.E., SE, SS
7.10.22

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-01

देहरादून: दिनांक 30 सितंबर, 2022।

विषय- मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग सिस्टम एवं मुख्यमंत्री हैल्पलाईन 1905 एकीकृत पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भों/पत्रों के ऑनलाईन निस्तारण में की जा रही त्रुटियों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्रों/संदर्भों का मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग सिस्टम एवं मुख्यमंत्री हैल्पलाईन 1905 एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निष्पादन किया जाता है। जिसके अंतर्गत वर्णित पत्र/संदर्भ मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उक्त एकीकृत पोर्टल पर पंजीकृत कर आई0टी0डी0ए0 द्वारा संचालित सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पोर्टल नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित विभाग के प्रशासकीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव जोकि विभाग हेतु एल-04 अधिकारी के रूप में निर्धारित

हैं, को प्रेषित किए जाते हैं। जिन्हें एल-04 अधिकारी द्वारा तदनुसार परीक्षण कर विभागाध्यक्ष (एल-03) अधिकारी को प्रेषित किया जाना चाहिए। किंतु यदि पत्र/संदर्भ में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो तो उक्त पत्रों/संदर्भों को विभागाध्यक्ष (एल-03) को न भेजकर शासन स्तर पर व्यवहृत कर निर्णय लिया जाना चाहिए तथा लिए गए निर्णय को वर्णित पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया जाना चाहिए। किंतु सामान्यतः देखा गया है कि जिस पत्र/संदर्भ पर शासन स्तर के एल-04 अधिकारी (सचिव) के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है उसे भी परीक्षण किए बिना ही विभागीय सचिवों द्वारा विभागाध्यक्ष (एल-03) अधिकारी तथा एल-03 अधिकारी द्वारा एल-02 और एल-01 स्तर के अधिकारी को भेज दिया जाता है, जोकि स्वस्थ कार्यप्रणाली का सूचक नहीं है।

02- इसी प्रकार यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासनिक विभागों के स्तर पर शासन स्तर से लेकर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर आदि में सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 तथा मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग सिस्टम (एल0एम0एस0) एवं सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 एकीकृत पोर्टल को पृथक-पृथक न मानकर एक ही माने जाने की भ्रांति है। तथा उपर्युक्त दोनों पोर्टलों में व्यवहृत मामलों को भी एक ही प्रकृति/प्रक्रिया से व्यवहृत किए जाने का चलन है क्योंकि प्रशासकीय विभागों द्वारा सभी मामलों को शिकायत के रूप में तथा आवेदक को शिकायतकर्ता के रूप में निस्तारण पत्रों में वर्णित/उल्लिखित किया जा रहा है, जोकि उचित नहीं है।

03- स्पष्ट करना है कि उक्त दोनों पोर्टल पृथक-पृथक हैं तथा उनमें व्यवहृत होने वाले मामलों भी पृथक-पृथक होते हैं तथा उक्त दोनों पोर्टल के व्यवहृण प्रारूप भी पृथक-पृथक है। सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 में मुख्यतः शिकायतें व्यवहृत होती हैं जिसमें शिकायतकर्ता सीधे टोल फ्री नंबर 1905 पर फोन कर उक्त पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है अथवा इसी पोर्टल पर लिखित शिकायत आई0टी0डी0ए0 में दर्ज करा सकता है। जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही संबंधित विभाग एवं आई0टी0डी0ए0 के स्तर पर होती है। इस पोर्टल के कार्यवाही प्रारूप में भी शिकायत संख्या एवं शिकायतकर्ता दर्ज होता है।

04- मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग सिस्टम (एल0एम0एस0) एवं सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 एकीकृत पोर्टल का कार्य पूर्व वर्णित पोर्टल से पृथक है। इसके अंतर्गत आवेदक (जनता) द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित उनके विभिन्न प्रकार के पत्रों/संदर्भों को व्यवहृत किया जाता है। उक्त एकीकृत पोर्टल के अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले जनसामान्य के पत्रों/संदर्भों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग सिस्टम में दर्ज/पंजीकृत कर सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है, जिस हेतु पोर्टल पर पृथक पेज/टाइल्स निर्धारित है तथा उक्त एकीकृत पोर्टल का पंजीकरण/व्यवहण प्रारूप भी सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पोर्टल के प्रारूप से पृथक है। इसमें अनुरोधकर्ता को आवेदक उल्लिखित किया जाता है जबकि सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पोर्टल पर अनुरोधकर्ता को शिकायतकर्ता लिखा जाता है। इसी प्रकार पत्र की संख्या भी संदर्भ क्रमांक संख्या के रूप में लिखी जाती है जबकि 1905 पोर्टल पर शिकायत संख्या के रूप में लिखी जाती है। इस प्रकार, उपरोक्त से स्पष्ट है कि सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पोर्टल एवं एल0एम0एस0 एवं सी0एम0 हैल्पलाईन एकीकृत पोर्टल दो पृथक-पृथक पोर्टल है।

04- अतः उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आपको ऑनलाईन प्रेषित किये जाने वाले संदर्भों/पत्रों का सही प्रकार से परीक्षण कर समयबद्ध आधार पर निस्तारित करते हुए निस्तारण कार्यवाही की आख्या/रिपोर्ट एल0एम0एस0 एवं सी0एम0 हैल्पलाईन एकीकृत पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by Shailesh

भगवती बगौली
Date: 26-09-2022 10:34:27
सांचव।

संख्या - ३९९/XXXV-1/2022, तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01-मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

02-प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

03-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

04-निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

05-निजी सचिव, प्रभारी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को प्रभारी सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

06-निदेशक, आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालन के साथ ही श्री चंदन राम दास, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या 1649/मा0मु0मंत्री/2022, दिनांक 07.09.2022 की प्रति संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि मा0 मंत्री जी द्वारा पत्र में वर्णित तथ्यों का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट आख्या शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

07- अनुभाग अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 01, 02 एवं 05, उत्तराखण्ड शासन।

08- गार्डफाइल।

संलग्नक:- यथोक्त

आज्ञा से
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनुसचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 1254 / 131याता0'क' / 2022

दिनांक- 07.10.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का बिन्दुवार अक्षरशः अनुपालन कर तदनुसार अनुपालन आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता सि0/रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/ए0डी0बी0, लो0नि0वि0..... ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता सि0/रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/ए0डी0बी0, वृत्त, लोक निर्माण विभाग..... ।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रा0/नि0/अ0/रा0मा0/वि0/या0/वर्ल्ड बैंक/ए0डी0बी0 खण्ड लोक निर्माण विभाग..... ।
4. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, नियोजन (2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. इ0 मनोज कुमार बिष्ट, अधिशासी अभियन्ता, नोडल ऑफिसर सी0एम0 हेल्पलाईन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।
7. इ0 शैलेन्द्र मिश्रा, सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को उपरोक्तानुसार सी0एम0 हेल्पलाईन पोर्टल पर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
8. इ0 छवि सैनी, सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को उपरोक्तानुसार सी0एम0 हेल्पलाईन पोर्टल पर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7.10.22

इ0 कुँवरसिंह असवाल
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर